# कार्यालय ज्ञाप

विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों के समुचित अभिलेखीकरण, वित्तीय अनुशासन, उत्तरदायित्व निर्धारण, वार्षिक भौतिक सत्यापन तथा आन्तरिक/बाह्य लेखापरीक्षण की आवश्यक्ताओं की पूर्ति के दृष्टिगत प्रत्येक महाविद्यालय/विभाग/केन्द्र/प्रक्षेत्र/इकाई में उपलब्ध समस्त सम्पत्तियों का अद्यतन अभिलेख संधारित किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के समस्त अधिष्ठाताओं, निदेशकों, विभागाध्यक्षों, अनुभागाध्यक्षों, केन्द्राध्यक्षों एवं प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने नियंत्रणाधीन उपलब्ध समस्त सम्पत्तियों का अभिलेखीकरण सम्पत्ति पंजिका (Asset Register) में तैयार करते हुए उसका नियमित संधारण सुनिश्चित करेंगें।

सभी सम्बन्धित अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगे कि उनके नियंत्रणाधीन उपलब्ध सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कराते हुए उसका प्रमाण पत्र वित्त नियंत्रक कार्यालय, निदेशक, निर्माण एवं संयत्र कार्यालय तथा सम्पत्ति अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जायें।

यह कार्यालय ज्ञाप मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

ह0—
(सुशान्त श्रीवास्तव )
निदेशक
प्रशासन एवं परिवीक्षण

**आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या**

पत्रांक ए.एन.डी.यू.ए.टी.–07/लेखा/2026/630 दिनांक 02-07-,2026

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ विभागों/केन्द्रों पर अनुपालन सुनिश्चित करायें।
2. निदेशक, आई.क्यू.ए.सी. सेल।
3. अध्यक्ष, कोआर्डिनेशन सेल।
4. वित्त नियंत्रक।
5. पुस्तकालयाध्यक्ष।
6. अधिशाषी अभियन्ता (सिविल), निर्माण निदेशालय।
7. प्रभारी अधिकारी, चिकित्सालय/वाहन/सम्पत्ति/सुरक्षा अनुभाग।
8. उपभण्डार क्रय अधिकारी, केन्द्रीय क्रय भण्डार को इस आशय से प्रेषित कि सम्पत्ति पंजिका (Asset Register) समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराये।
9. अध्यक्ष, भौतिक सत्यापन समिति को इस आशय से प्रेषित कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर भौतिक सत्यापन का कार्य सुनिश्चित करेगें।
10. विभागाध्यक्ष, सांख्यिकी विभाग को इस आशय से कि उक्त कार्यालय–ज्ञाप विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करायें।
11. नोटिस बोर्ड/गार्ड फाइल।

02.07.2026
(भूपेन्द्र सिंह)
प्रशासनिक अधिकारी